राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(ग्रामीण विकास अनुभाग–1)

क्रमांक : एफ 2(1) ग्रावि/ग्रुप–1 / 2013 / पार्ट–1 जयपुर, दिनांक : 01 JUN 2016

– विज्ञप्ति –

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग एवं विभिन्न जिला परिषदों में राजस्थान सिविल सेवा (परियोजना निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (रो.गा.स्की.), अधिशाषी अभियंताओं और परियोजना अधिकारियों का विशेष चयन और उनकी सेवा की विशेष शर्तें) नियम 1975 एवं संशोधित नियम, 2013 के तहत उनके सामने अंकित योग्यता एवं अनुभवी अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद के पद पर विशेष चयन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं ।

नोटः–उक्त नियम के अन्तर्गत चयनित समस्त अधिकारियों को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में उनकी सेवावधि के दौरान उनके मूल वेतन के 15% की दर से विशेष भत्ता नियमानुसार संदत किया जायेगा ।

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2017 को 50 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिये परन्तु आवेदित पद पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन पहले से विशेष चयन पर कार्यरत अधिकारी 55 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन के लिए आवेदन करने हेतु पात्र सेवायें, न्यूनतम योग्यता एवं आवेदन का प्रारूप विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष से अग्रेषित होना आवश्यक है। विशेष चयन के पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित होगा ।

विभाग द्वारा पूर्व में जारी विज्ञप्तियों के अनुसरण में प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होंगे एवं उन्हें भी निर्धारित आवेदन पत्र की पूर्ण पूर्ति कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(उज्ज्वल राठौड़)
संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर विशेष चयन हेतु पात्र सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	पद का नाम एवं रिक्त पदों की संख्या	सेवा का नाम	न्यूनतम योग्यता
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (33 पद)	राज्य सेवा का कोई भी अधिकारी	वेतन बैंड सं. 3 (15600–39100) साथ में ग्रेड वेतन सं. 17 (6600/– रु.)